FAQs For Pensioners

1. **पेंशनर की SSO ID क्या होगी ? यदि employee Id सेवा के समय बनी हुई है तो उसे कन्वर्ट करना है या नई बनानी है।**

   यदि किसी पें शनर की employee Id सेवा के समय बनी हुई है तो उसे नई SSO ID की आवश्यकता नहीं है परन्तु RGHS में पंजीयन करते समय उसे G2C A pp पर जाकर पंजीयन करना होगा। न की G2G app पर।

   जिस पेंशनर की SSO ID नहीं है उस पेंशनर की SSO ID सिटीजन के आधार पर बनी आई–डी होगी, employee Id बनवाने की आवश्यकता नहीं है।

   SSO-ID बनाने की प्रक्रिया निम्न प्रकार हैः–

   - ✓ sso.rajasthan.gov.in वेब लिंक पर जाने पर आपको log-in और registration दो विकल्प दिखाई देगें जिनमें से आप Registration पर क्लिक करें।
   - ✓ Registration पर Click करने पर Citizen, Udhyog और Govt.Employee के विकल्प प्रदर्शित होगें, जिनमें से Citizen विकल्प का चयन करना होगा।
   - ✓ Citizen पर Click करने पर चार विकल्प जन–आधार, भामशाह, फेसबुक एवं गुगल प्रदर्शित होगें उक्त चार विकल्प में से किसी एक का चयन कर विकल्प से संबंधित सामान्य सूचना अंकित कर पुष्टिकरण करें।
   - ✓ पुष्टिकरण के पश्चात यूजर नेम, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड और मोबाईल नम्बर/ई–मेल अंकित कर रजिस्टशन की प्रकिया पूर्ण करें।
   - ✓ इस प्रकार आप SSO-ID एवं Password प्राप्त कर सकते है।

2. **यदि एक जन–आधार फैमिली में कोई पेंशनर है एवं उसके बेटा–बेटी में से काई भी सरकारी कर्मचारी है तो क्या Registration एक जन–आधार से हो सकता है ?**

   यदि पेंशनर के परिवार में पुत्र/पुत्री दोंनों में कोई एक या दोनों भी राज्य कर्मचारी है तो इस स्थिति में पेंशनर अलग जन–आधार से पंजीयन करेंगे।

   एवं पुत्र/पुत्री दोंनों में कोई या दोनों जो भी राज्य कर्मचारी है को अपना जन–आधार कार्ड पृथक से बनावा कर पंजीयन करना होगा।

3. **पति पत्नी दोनों पेंशनर/कर्मचारी है उन्हे अलग–अलग Registration करवाना है पर जनाधार एक ही है?**

   यदि पति पत्नी दोनों पेंशनर/कर्मचारी है इस स्थिति में एक जन–आधार के माध्यम से दोनों में कोई एक पंजीयन करते हुए अन्य को शामिल कर सकता है। पृथक से पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं है

   अर्थात दोनों में से कोई एक पंजीयन करते समय अन्य को रेडियो बटन के माध्यम से पेंशनर/कर्मचारी प्रदर्शित कर RGHS फैमिली में शामिल करेगा।

4. **किसी परिवार में पति–पत्नी दोनों मे से एक सर्विस में है एवं एक पेंशनर या दोनों सरकारी कर्मचारी है या दोनों पेंशनर है तो पृथक Registration होगा या एक ही Registration होगा ?**

   यदि एक जन–आधार फैमिली मे एक पेंशनर है और एक सरकारी कर्मचारी है या दोनों सरकारी कर्मचारी है या दोनों पेंशनर है तो काई एक RGHS पर Registration करते हुए अन्य को RGHS फैमिली में आवश्यक सूचना देकर रेडियो बटन द्वारा सम्मिलित कर सकता है इसके लिए पृथक से रजिस्टशन करवाने की जरूरत नहीं है।

5. **क्या एक जनाधार से Regular Employee एवं pensioner का RGHS में और चिरंजीवी योजना में उपयोग हो सकता है?**

जी नहीं, RGHS का लाभार्थी बनने के लिए कार्यरत कर्मचारी एवं पें शनर को अलग–अलग जन–आधार कार्ड बनवाना होगा (यदि दोनों पति–पत्नी नहीं है तो)

चिरंजीवी योजना सरकारी कर्मचारी एवं पें शनर पर लागू नहीं है ये केवल **RGHS** का लाभ ले सकते है।

6. **जिन्होंने गलती से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में पंजीयन करवा लिया, भूल सुधार कैसे होगी ?**

जिन्होंने गलती से मुख्यमंत्री चिंरजीवी योजना में पंजीयन करवा लिया है उन्हें चिरंजीवी योजना से अपना रजिस्टेशन विलोपित करवाना होगा। इसके लिए चिरंजीवी योजना क` सहायता केन्द्र पर सम्पर्क करें।

7. **जनाधार में राशन कार्ड की जगह अन्य प्रमाण पर विचार चल रहा है क्या कि वर्तमान में नए राशन कार्ड बनने बन्द है।**

जन–आधार बनवाने के लिए राशन कार्ड जरूरी नहीं है आप बिना राशन कार्ड भी जन–आधार के लिए पंजीयन कर सकते है। **RGHS** के पोर्टल पर जन–आधार हेतु लिंक उपलब्ध है।